पत्रांक–11 न0 वि0 अभि0 (को0) 70/2015 1114 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषकः–

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
मुजफ्फरपुर।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, कांटी।

पटना, दिनांक 6/9/18

विषयः– नगर पंचायत कॉटी अन्तर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण कार्य के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंगः– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कॉटी का पत्रांक–445 दिनांक–26.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित योजना का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु समर्पित किया गया है।

प्राक्कलन के जाँचोपरान्त निम्नांकित त्रुटियाँ परिलक्षित हो रही हैः–

(1) प्राक्कलन अपठनीय है, अतः स्वच्छ प्रति उपलब्ध कराया जाय।

(2) समर्पित प्राक्कलन पूर्व में checked प्राक्कलन की छाया–प्रति मात्र है, जबकि स्थान विशेष के लिए अलग प्राक्कलन की आवश्यकता है।

(3) समर्पित प्राक्कलन पर संबंधित कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर नहीं है, चूँकि यह भवन निर्माण है, अतः कार्यपालक अभियंता से जाँच करा कर ही इसे भेजा जाना चाहिए था।

(4) प्राक्कलन में मात्र सिविल कार्य है, विभागीय निदेश के अनुसार भवन के निर्माण के प्राक्कलन में Electric, Sanitation, Water supply आदि का प्रावधान करते हुए प्राक्कलन समर्पित करे, ताकि भवन का कार्य समेकित रूप से ससमय उपयोगी हो सके।

उपरोक्त बिन्दुओं का निराकरण करने हेतु प्राक्कलन मूल में लौटाया जा रहा है।

विश्वासभाजन

6/9/18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

अनु0ः– यथोक्त।

E:\N K File 2014\Muzaffarpur\Muzaffarpur T.S.docx